

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ संकल्प ॥

सं० सं०—22/एम०-04/2011 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक—.....सितम्बर, 2017

विषय:— माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिवों की तीन सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित कतिपय न्यायादेशों के तहत सरकारी विभागों/कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश [(2006) 4 SSC-1] के आलोक में वैध या अवैध, नियमित या अनियमित, विधिमान्य या अविधिमान्य होने की जाँच कर उनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मुख्य सचिव, बिहार को सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया गया था।

2. न्यायादेश के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार के आदेश से विभिन्न संकल्पों के द्वारा समय-समय पर प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाता रहा है। सम्प्रति संकल्प ज्ञापांक-22/एम०-04/2011 सा०प्र०-15461 दिनांक-23.09.2013 के तहत गठित समिति अस्तित्व में है। उल्लेखनीय है कि उक्त संकल्प के तहत गठित समिति के एक सदस्य श्रीमती अंशुली आर्या, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना दीर्घ अवकाश पर हैं। अतः मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उनके स्थान पर श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई है। तदनुसार संकल्प ज्ञापांक-15461 दिनांक-23.09.2013 के तहत गठित समिति को निम्नरूपेण पुनर्गठन करने का निर्णय किया जाता है :-

1. श्री आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव, अध्यक्ष
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
2. श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव, सदस्य
वित्त विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव, सदस्य
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-22/एम0-04/2011 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक-.....सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-22/एम0-04/2011 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक-.....सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी
प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ह0/-

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-22/एम0-04/2011 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक-.....सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार
अभिलेखागार, बेली रोड, पटना/बिपार्ड, वाल्मी, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-22/एम0-04/2011 सा0प्र0¹¹⁵⁵⁷...../पटना-15, दिनांक-⁷.....सितम्बर, 2017
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी
पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।